पत्रांकः 2389/14–1 दिनांक,एटा,जनवरी 25,2018

सेवा में,

नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक,
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय **एटा से अलीगढ़–कानपुर सैक्शन (एन0एच0–91) कि0मी0 186 से 229 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्ष व 858 पौध कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ आपका पत्रांक 1518/एटा/22374/2016 दिनांक 04.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने पत्र संख्या 1458/14–1 दिनांक 26.01.2018 द्वारा प्रेषित की गयी है। अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर निम्नप्रकार आपत्तियों का निराकरण संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

कसं	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन पार्ट –2 अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है। ऑनलाइन पार्ट –2 में अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्तावित वनभूमि की गणना में विद्यमान R.O.W., विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की चैनेजवार गणना अंकित नहीं है। संशोधित गणना ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित वन भूमि की गणना में विद्यमान आर0ओ0डब्लू0 की चैनेजवार संशोधित विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है ।
3	परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृती संलग्न नहीं है। सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है तथा सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4	ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड बाधक वृक्षों की संख्या 4923 है किन्तु परियोजना में बाधक 4940 वृक्षों व 858 पौधों का विवरण संलग्न है। जो विसंगतिपूर्ण है। स्थिति स्पष्ट करते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन संशोधित करने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड बाधक वृक्षों की संख्या 4940 संशोधित कर दी गयी है तथा 858 पौधों का विवरण अतिरिक्त अभिलेखों में अपलोड किया गया है।
5	प्रमाण –पत्र की रंगीन छायाप्रति संलग्न है। ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु –के–1(ए) पर अपलोड जिलाधिकारी के प्रमाण –पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।	जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षिरित किया गया एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र में दिनांक व पत्रांक अंकित करा दिये गये है तथा पार्ट 1 में एन0एच0आई0 द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
6	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ न संलग्न कर रंगीन छायाप्रति संलग्न की गयी है, जो सुसंगत नहीं है। मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी एफ0आर0ए0 मूल में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7	प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।

	R.O.W. प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें ।	[illegible] कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
9	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(xvii) में अपलोड पावर ऑफ अटार्नी में आवेदक का नाम अंकित कर व हस्ताक्षर प्रमाणित कर अपलोड नहीं किया गया है, न ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।	पावर ऑफ अटर्नी आवेदक का नाम व हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर एन0एच0आई0 द्वारा पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन पार्ट –2 के बिन्दु–13–1 के बिन्दु–13–1 के कमांक –3 व 4 पर अपलोड के0एम0एल0 फाइल खुल नहीं रही है। अपलोडेड पॉलीगॉन को पेन्ट किया गया है, जिससे उक्त स्थल की वनावरण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संशोधित कर पुनः ऑनलाइन अपलोड करें व के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	के0एम0एल0 फाइल संशोधित तैयार कराकर ऑनलाइन पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 13–1 में अपलोड करा दिया गया है तथा के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11	उक्तानुसार सूचनाओं /अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या व तद्नुसार विषय–सूची अपडेट कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में विशेष सूची अपडेट कर पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।

अतः संशोधित प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 2389 /14–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।
4. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0 अलीगढ़।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।